# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरिया(छ0ग0)

क्रं/ 4131 /मान्य0/नवी0/2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 13/06/2025

प्रति,

प्राचार्य/प्रबंधक
डी0ए0व्ही0 पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल.झिलिमिली पाण्डवपारा
विकासखण्ड–बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ0ग0

विषयः– विद्यालय की मान्यता/अनुमति प्रदाय करने बावत्।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 13.06.2025

-----0000-----

आपके संदर्भित आवेदन पत्रानुसार शिक्षा सत्र 2025–26 के लिए कक्षा– एल0के0जी0 से 12 वीं तक विद्यालय संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों पर अस्थायी रूप से मान्यता /अनुमति प्रदान किया जाता है।

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं हैं और किसी भी प्रकार से कक्षा बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अनुसूची धारा 19 और 25 में दिए गये प्रावधान/मापदण्ड/उपबंधो का पालन अनिवार्यतः करेंगे।)
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1 ली से दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में दर्शित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाऐगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और नही बच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण–पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनश्चित करेगा कि :–
   i. प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
   ii. किसी बच्चे का शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   v. कानून प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
   vi. शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सहित नियुक्ति किए जाते है। 5 वर्ष की समयवाधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताऐं प्राप्त करेंगे।
   vii. शिक्षकों का देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के खण्ड 23 (2) के उदेदश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशासित होगी।
   viii. शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 मे वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाएगा।
11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उदेदश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेश एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयवधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

Attested
17/6/25
PRINCIPAL
D.A.V. Public School
Jhilimili Pandavpara
Distt.- Korea (C.G.)

13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाऐगा।
14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्रामाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
15. विद्यालय समय समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन मे कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
16. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0

पृ.कं/ 4132/मान्य0/नवी0/2025 बैकुण्ठपुर दिनांक 13/06/2025
प्रतिलिपिः–

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अंबिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहा0वि0ख0शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0

Attested
17/6/25
PRINCIPAL
D.A.V. Public School
Jhilimili Pandavpara
Distt.- Korea (C.G.)